

दिनांक	आज्ञा पत्र	
<p>13-11-19</p> <p>81-20</p>	<p>भद्रावती प्रत्युत अपिलकात हा ते आज न्यायिक कार्य संपन्न होऊन भद्रावती पुरा साक्षानुसार दिनांक 8-1-20</p> <p>भद्रावती पेशन वकील अॅम्बेलांत को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेकॉर्डिंग के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तदा अॅम्बेलांत में रेकॉर्डिंग के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अॅम्बेलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अॅम्बेलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। भद्रावती फौसल गुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीव तकमील दाखिल दाफतर हो।</p>	<div data-bbox="1144 271 1534 660" data-label="Image"> </div>